प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. **जिला:**– ए.सी.बी. एस.यू. कोटा **थाना :**– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....133/2022 **दिनांक** 16/4/2022

2. (A) **'अधिनियम**–पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018 **धारायें**–7,7ए पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018
(B) **'अधिनियम –** भा0द0सं0...................... **'धारायें –** ....120बी ....
(C) **'अधिनियम**.......................................**'धारायें**...
(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**...

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**..............294........**समय**..........1:30PM........
(ब) **अपराध घटने का दिन :**– गुरूवार **दिनांक :**– 14.04.2020 **समय :**–05:25पीएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :** 01.04.2022 **समय :** 05:00 पीएम

4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** –लिखित (हस्तलिखित)

5. **घटना स्थल:**–
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:**– बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 80 कि.मी.
(ब) **पता** :– परिवादिया का मकान, रामलीला मैदान, ईटावा
जरायम देही संख्या.....................
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना – ईटावा **जिला** – कोटा ग्रामीण

6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :**–
(अ) **नाम:**– श्रीमति मंजू राठौड
(ब) **पिता/पति का नाम** – पति स्व0 श्री किशन राठौड जाति तेली
(स) **जन्म तिथी/ उम्र** :– 45 वर्ष
(द) **राष्ट्रीयता :**– भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या**..**जारी होने की तिथी**......
जारी होने की जगह..
(र) **व्यवसाय**– आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़ तह. पीपल्दा, कोटा
(ल) **पता** – रामलीला मैदान के पास, ईटावा जिला कोटा

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :**–
   1. श्रीमती अनिता मेहरा पत्नी श्री राजेश जाति मेहरा उम्र 46 साल निवासी लक्ष्मी स्कूल के पास, सकतपुरा गेट नं. 4, कोटा हाल सुपरवाईजर सेक्टर ईटावा प्रथम अतिरिक्त चार्ज पीपल्दा एवं खातौली द्वितीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ईटावा, जिला कोटा
   2. दलाल महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारण:**–.............................. शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.** :– 5,000 रूपये ....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**..
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :**–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.04.2022 को समय 05:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक अनिता वर्मा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा को केम्प ईटावा पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड पत्नी स्व0 श्री किशन राठौड जाति तेली उम्र 45 साल निवासी रामलीला मैदान, ईटावा जिला कोटा हाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़ तहसील पीपल्दा जिला कोटा द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि "मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पंचायत करवाड़ में कार्य करती हूँ। मेरा सेन्टर पीपल्दा सेन्टर के अधीन है। पीपल्दा सेक्टर की इंचार्ज अनिता मेहरा सुपरवाईजर जो पीपल्दा सेक्टर के अण्डर आने वाले सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों की चेकिंग कर हमारे द्वारा बनाया गया पोषाहार के बिलों को सी.डी.पी.ओ. से पास होने के बाद जितना पैसा हमारे बैंक खाते में आता है, उस पैसे का 15 प्रतिशत श्रीमति अनिता मेहरा रिश्वत के रूप में मेरे से मांग कर रही है। यदि मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो वह मुझे अनावश्यक रूप से परेशान करती है, नौकरी से हटाने की धमकी

देती है। मेरे 2020 कोरोना काल से पूर्व के चार माह की बकाया राशि करीब 33,000 रूपये मेरे खाते में आये है। उक्त राशि का 15 प्रतिशत के हिसाब से 5,000 रूपये अनिता मेहरा मेरे से महावीर शर्मा निवासी पीपल्दा खुर्द के मार्फत लेना चाहती है। अनिता मेहरा ने सोमवार को महावीर शर्मा के साथ करवाड़ आंगनबाड़ी सेन्टर पर आने हेतु कहा है। वह दोनों मेरे से करवाड़ आंगनबाड़ी केन्द्र पर आकर रिश्वत की मांग कर रिश्वत ले सकते हैं। मैं विधवा महिला हूँ व केन्द्र पर काम करके अपने परिवार को पाल रही हूँ। मैं अनिता मेहरा सुपरवाईजर सेक्टर पीपल्दा तथा उसके दलाल महावीर शर्मा निवासी पीपल्दा खुर्द को रिश्वत नहीं देना चाहती हूँ। उन दोनों को रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहती हूँ। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई पुराना लेनदेन बकाया है।" इत्यादि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर परिवादिया से दरियाफ्त किया गया तो परिवादिया ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैं सेक्टर पीपल्दा के अधीन करवाड़ आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत हूँ। पीपल्दा सेक्टर में सेक्टर की प्रभारी श्रीमति अनिता मेहरा सुपरवाईजर है। अनिता मेहरा के पास पीपल्दा व खातौली का अतिरिक्त चार्ज है। अनिता मेहरा के अधीन करीब 80–90 आंगनबाड़ी केन्द्र आते हैं। करीब एक डेढ़ माह पूर्व सभी आंगनबाड़ी समूह के कोरोना काल से पूर्व के वर्ष 2019–20 के बकाया पोषाहार के बिलों के पैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में आये हैं। अनिता मेहरा सुपरवाईजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उनके खातों में आये पोषाहार के पुराने बिलों की रकम का 15 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रही है तथा वह अपने दलाल महावीर शर्मा निवासी पीपल्दा खुर्द के मार्फत भी कमीशन राशि ले रही है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको पैसे नहीं दे रही, उनके केन्द्रों पर आकर उन्हे नौकरी से निकालने की धमकी देती है तथा अनावश्यक रूप से परेशान करती है। नौकरी से नहीं निकालने व परेशाान नहीं करने की एवज में अनिता मेहरा सुपरवाईजर दलाल श्री महावीर शर्मा के मार्फत मेरे खाते में आई पोषाहार की बकाया रकम करीब 33,000 रूपये का 15 प्रतिशत के हिसाब से 5000 रूपये की मांग कर रहे हैं। अनिता मेहरा ने सोमवार दिनांक 04.04.2022 को दलाल महावीर शर्मा के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने हेतु कहा है। वह दोनों मेरे से आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़ पर आकर रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि 5000 रूपये ले सकते हैं। मैं अनिता मेहरा सुपरवाईजर तथा उसके दलाल महावीर शर्मा को मुझे परेशान नहीं करने व नौकरी से नहीं हटाने की धमकी की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहती। इन दोनों को रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहती हूँ। मेरी उक्त दोनों से कोई रंजिस नहीं है और ना ही कोई लेनदेन बकाया है। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का होना एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से प्रार्थना पत्र वापसी कार्यालय पर प्रभारी महोदय उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी में लिया गया।

प्रार्थना पत्र में दिनांक 04.04.2022 को आरोपीगण का आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़ पर आकर रिश्वत की मांग करने की सम्भावना व्यक्त करने से दिनांक 04.04.2022 को समय 10:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक अनिता वर्मा मय श्री किशनलाल उ0नि0, श्री लालचन्द कानि0 30 मय जीप सरकारी वाहन चालक श्री घनश्याम कानि0 609 मय डिजीटल वॉइस टेप रिकार्डर मय लेपटॉप, प्रिन्टर के परिवादिया मन्जू राठौड द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सत्यापन हेतु कार्यालय हाजा से करवाड़ तहसील पीपल्दा हेतु रवाना हुई। समय 12:25 पीएम पर आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़ पहुंचे। जहां पर परिवादिया मन्जू राठौड उपस्थित मिली। परिवादिया मन्जू राठौड ने बताया कि "सुपरवाईजर अनिता मेहरा व दलाल महावीर शर्मा उनके सेक्टर में आने वाले आगनबाडी केन्द्रों के निरीक्षण पर निकले है, जो मेरे आंगनबाड़ी केन्द्र पर भी आने वाले है। सुपरवाईजर अनिता मेहरा व दलाल महावीर शर्मा मेरे आगनबाडी केन्द्र करवाड पर ही आकर पैसे लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करेगें।" इस पर रूबरू गवाहान परिवादिया श्रीमति मंजू को डिजीटल वॉईस रिकार्डर सोनी कम्पनी का सुपुर्द करते हुये चालू व बन्द की विधि समझाई गई तथा हिदायत दी गई कि वह सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी व्यक्तियों से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में होने बातचीत को वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करें। कार्यवाही की फर्द सुर्पुदगी डिजीटल वॉईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड को आरोपी सुपरवाईजर अनिता मेहरा व दलाल श्री महावीर शर्मा से रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड करने की हिदायत की गई। श्री लालचन्द कानि0 30 को परिवादिया के हमराह वार्ता की निगरानी हेतु निर्देश दिये गये। मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता सरकारी वाहन से गोपनीय स्थान पर मुकिम हुई। समय 01:20 पीएम पर श्री लालचन्द कानि0 30 मय परिवादिया मन्जू राठौड मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के उपस्थित आये तथा परिवादिया ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि "मैं यहां से

रवाना होकर मेरे आगनबाडी केन्द्र गई। जहां पर मैनें केन्द्र पर प्रवेश करने से पूर्व टेप रिकार्डर चालू कर लिया था। मेरे साथ गये लालचन्द कानि0 केन्द्र के बाहर ही छुपकर खडे हो गये थे। मेरे केन्द्र में अन्दर जाने के कुछ समय बाद ही सुपरवाईजर अनिता मेहरा व दलाल महावीर शर्मा मेरे केन्द्र पर आ गये थे। जहां पर मेरी उन दोनों से वार्ता हुई, जिसमें सुपरवाईजर अनिता मेहरा व दलाल महावीर शर्मा के द्वारा पोषाहार के पुराने बिलों के सम्बन्ध में हिसाब किताब कर मेरे खाते में आई पोषाहार की राशि 33,000/–रुपये का 15 प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग की गई तथा 15 प्रतिशत के हिसाब से 5000 रुपये रिश्वत राशि मुझसे मांग की है तथा कमलेश (जीजा) के भी 3,000/–रुपये कुल 8,000/–रुपये रिश्वत राशि सहित मुझे अपने कार्यालय में कल बुलाया है। फिर सुपरवाईजर अनिता मेहरा व दलाल महावीर शर्मा के केन्द्र से निकलने के बाद मैनें टेप रिकार्डर को बन्द कर लिया था तथा श्री लालचन्द कानि. के साथ आपके पास वापस आ गई। श्री लालचन्द कानि0 30 ने भी परिवादिया के कथनों की ताईद की। इस पर मन् पु0नि0 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉडर को चालू कर सुना गया तो परिवादिया के कथनों की पुष्टि हुई। कार्यवाही की फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉइस रिकार्डर मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 02:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता श्री किशनलाल उ0नि0, श्री लालचन्द कानि0 30 मय जीप सरकारी वाहन चालक श्री घनश्याम कानि0 609 मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय लेपटॉप, प्रिन्टर के करवाड़ से कोटा के लिए रवाना हुई। मन् पु0नि0 ने ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण सम्भावना होने से जर्ये टेलीफोन श्री धर्मवीर सिंह पुलिस उप अधीक्षक ए0सी0बी0 (एस0यू0) कोटा को परिवादिया मन्जू राठौड व दलाल महावीर शर्मा व आरोपिया अनिता मेहरा सुपरवाईजर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा श्रीमान को कल दिनांक 05.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही के आयोजन एवं स्वतंत्र गवाह पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 06:05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय श्री किशनलाल उ0नि0, श्री लालचन्द कानि0 30 मय जीप सरकारी वाहन चालक श्री घनश्याम कानि0 609 मय डिजीटल वॉइस टेप रिकार्डर मय लेपटॉप, प्रिन्टर के कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आई। हालात श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक को निवेदन किये गये। डिजीटल वॉइस रिकॉडर को मालखाना मे सुरक्षित रखवाया गया। श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस एसीबी एसयू कोटा द्वारा तलब किये गये स्वतंत्र गवाहान श्री महावीर गुर्जर कनिष्ठ सहायक एवं श्री कैलाश सुमन कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। चूंकि ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कल दिनांक 05.04.2022 को किया जाना है। अतः आमदा दोनों स्वतंत्र गवाहान व समस्त जाप्ते को कल दिनांक 05.04.2022 को सुबह 10:00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर दोनों स्वतंत्र को कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 05.04.2022 को समय 10:05 एएम पर पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री महावीर गुर्जर कनिष्ठ सहायक व श्री कैलाश सुमन कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपवन सरंक्षक कोटा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिनको परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र पढ़ाया गया तथा दोनों गवाहान ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाते हुये उनसे ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान साथ रहने की सहमति चाही गई तो उनके द्वारा परिवादिया के प्रार्थना पत्र को पढ़कर ट्रेप कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति देते हुये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना से डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाकर उसमें रिकार्ड परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड, दलाल श्री महावीर शर्मा एवं आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा के मध्य दिनांक 04.04.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर सुनाया गया। समय 12:45 पीएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड को जरिये दूरभाष रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रूपये सहित गोपनीय स्थान पर ईटावा मिलने हेतु समझाईश की गई। श्री अभिषेक कानि. 197 से मालखाना से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर प्राईवेट वाहन इनोवा के डेस्कबोर्ड में रखवाया गया। तत्पश्चात् मन् पु0नि0 मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 197, श्री दिलीप कुमार कानि0 401, श्री बबलेश कानि0 261, श्री अभिषेक कानि. 197 मय ट्रेप बोक्स, लेपटोप प्रिन्टर के ट्रेप कार्यवाही हेतु मय प्राईवेट वाहन के कार्यालय से इटावा के लिये रवाना हुये। मार्गदर्शन हेतु श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस श्री धर्मवीर सिंह मय श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को ईटावा पहुंचने हेतु निवेदन किया गया। समय 02:25 पीएम पर मन् पु0नि0 मय हमराह जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के इटावा गोपनीय स्थान पर पहुंची। परिवादिया से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड ने स्वयं को आस पास ही होना बताते हुये शीघ्र ही निर्धारित गोपनीय स्थान पर पहुंचने हेतु बताया। परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड निर्धारित गोपनीय स्थान ईटावा खातौली बाईपास पर उपस्थित आई। परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड का दोंनों स्वतंत्र गवाहान से आपसी

परिचय करवाया गया। समय 02:40 पीएम पर परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500–500रुपये के 10 नोट कुल 5,000/– रुपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये गये। जिनके नम्बर इस प्रकार है :–

1. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 DC 010361
2. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 WP 867505
3. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 CC 360319
4. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 HL 669572
5. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 BW 606957
6. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0 BA 766631
7. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 WE 286355
8. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 RN 764836
9. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 NV 342033
10. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 CB 864055

श्री अभिषेक कानि0 197 से प्राईवेट वाहन इनोवा के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार के उपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाया गया। उक्त रिश्वत राशि के सभी नोटों पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड की तलाशी व उसके हैड बैग की तलाशी मन् पु0नि0 द्वारा ली गई। परिवादिया के पास पहने हुये वस्त्रों व मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु/राशि नही रहने दी गई। रिश्वत में दी जाने वाली पाउडर लगी रिश्वत राशि 5000/–रुपये परिवादिया के हेण्डबैगं के सामने की जेब में सीधे ही श्री अभिषेक कानि0 197 से रखवाये गये। इसके बाद एक कॉच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री अभिषेक कानि0 197 के दाहिने हाथ की अगुंलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकिया व दृष्टान्त को गवाहान एवं परिवादिया को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटो को अपने हाथों में ग्रहण करेगा, छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। तत्पश्चात् जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। श्री अभिषेक कानि. 197 के दोनों हाथ एवं प्रयुक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी व दृष्टान्त में प्रयुक्त किये गये गिलास को श्री अभिषेक कानि0 197 को सुपुर्द कर कार्यालय एसीबी एसयू कोटा के लिए रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले गिलास व शीशीयों को साबुन व पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टॉफ के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादिया को हिदायत दी गई की उक्त नोटों को रास्तें में अनावश्यक रुप से नही छुऐं व आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वंय के कार्य के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करें तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर से स्कॉर्फ हटा देने का संकेंत देने के लिये कहा गया। दोनों स्वतंत्र गवाह को भी समझाया गया कि रिश्वत लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजिटल टेप रिकार्डर परिवादिया मन्जू राठौड को दिया जाकर चालू व बन्द करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत की लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने हेतु समझाईश की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त पृथक से मुर्तिब की गई। समय 03:20 पीएम पर मन् पु0नि0 मय परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के कार्यालय महिला एंव बाल विकास विभाग इटावा हेतु रवाना हुई। समय 03:30 पीएम पर मन् पु0नि0 मय परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के कार्यालय महिला एंव बाल विकास विभाग इटावा के पास पहुंची। परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड को रिश्वत लेन देन हेतु आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा के पास कार्यालय महिला एंव बाल विकास विभाग इटावा रवाना किया गया। परिवादिया के पीछे पीछे श्री बबलेश कानि0 261 को निगरानी हेतु रवाना किया गया। मन् पु0नि0 मय हमराह जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादिया के निर्धारित इशारे के इन्तजार में कार्यालय के आसपास मुकीम हुई। समय 04:40 पीएम पर परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड बिना कोई ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास आई व डिजीटल वॉईस रिकार्ड पेश किया। मन्

पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रखा गया। परिवादिया ने बताया कि "मैं यहां से रवाना होकर डिजीटल वॉईस रिकार्ड चालू कर सुपरवाईजर अनिता मेहरा के पास उसके कार्यालय में पहुंची तो श्रीमती अनिता मेहरा कार्यालय में उपस्थित मिली। जिनसे मैने बातचीत कर कहा कि पांच लाई हूं इस पर उसने कहा कि पांच ही क्यों, उसके तीन क्यों नही लाई। मैनें कहा कि कहा कि तीन बाद में वह दे देगी तो उससे लेकर आपको दे दूंगी। मैडम ने कहा कि यहां कैसे दोगी, यहां ऑफिस में उसको दे देना गिर्राज बैरवा को या फिर थैली वैली या कागज में बांध कर दे देना। फिर अनिता मेहरा मैडम नें कहा कि अभी यहां और लोग भी बैठे है इसलिये तुम आधे घण्टे बाद आना, अनिता मैडम नें रिश्वत राशि नही ली है और मुझे आधे घण्टे बाद वापस कार्यालय में बुलाया है। इस पर मैने वहीं आस पास बाजार में इंतजार किया तथा फिर मैं आपके पास वापस आ गई। कार्यालय में अनिता मेहरा मैडम व मेरे बीच हुई वार्ता इस टेप रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है।" समय 04:45 पीएम पर परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड को पुनः डिजिटल वाईस रिकार्डर दिया जाकर रिश्वत लेन देन हेतु आरोपिया अनिता मेहरा के पास कार्यालय महिला एंव बाल विकास विभाग इटावा हेतु पुनः रवाना किया गया। परिवादिया के पीछे पीछे श्री बबलेश कानि0 261 को निगरानी हेतु रवाना किया गया। मन् पु0नि0 मय हमराह जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादिया के निर्धारित इशारे के इन्तजार में कार्यालय के आसपास मुकीम हुई। समय 05:10 पीएम पर परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड बिना कोई ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास वापस आई तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि "मैं यहां से रवाना होकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर अनिता मेहरा के पास उसके कार्यालय में पहुंची तो वहां कार्यालय में और भी व्यक्ति व महिलाऐं उपस्थित होने से सुपरवाईजर श्रीमती अनिता मेहरा ने अभी रिश्वत राशि नही ली है और ना ही मुझसे रिश्वत के बारे में बात की है। मेडम ने मुझे कल बुलाया है। मैंने कार्यालय से बाहर आकर वॉइस रिकार्डर बन्द कर दिया था।" डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो रिकार्डर में लेनदेन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाया गया व शोर शराबा की आवाज सुनाई दी। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादिया व स्वतंत्र गवाहान, हमराह जाप्ता के वहां से गोपनीय स्थान हेतु रवाना हुई। समय 05:20 पीएम पर मन् पु0नि0 मय परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के गोपनीय स्थान इटावा खातौली बाईपास रोड पर पहुंची। सम्पूर्ण हालात श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस को निवेदन किये गये। चूंकि आरोपीया अनिता मेहरा द्वारा परिवादिया को रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 06.04.2022 को बुलाया गया है। अतः आज ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नही है। अतः परिवादिया से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000रूपये गवाह श्री महावीर गुर्जर से वापस लिवाकर एक कागज के सफेद लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बोक्स में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादिया को आवश्यक समझाईश कर कल दिनांक 06.04.2022 को गोपनीय स्थान पर मिलने हेतु कहा जाकर रुखसत किया गया। मन् पु0नि0 मय जाप्ता एंव स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन से कार्यालय कोटा हेतु रवाना होकर समय 07:30 पीएम पर कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पहुंची। ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि के लिफाफे के सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को कल सुबह समय 08:00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 06.04.2022 को समय 07:00 एएम पर श्री लालचन्द कानि. 30 एवं श्री अभिषेक कानि. 197 को जरिये दूरभाष ईटावा गोपनीय स्थान पर मिलने हेतु निर्देशित किया गया। श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. एवं श्री बबलेश कानि. को पृथक से जरिये दूरभाष ईटावा में गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने के निर्देश दिये गये। समय 08:30 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश सुमन व श्री महावीर गुर्जर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। एसीबी जाप्ता भी कार्यालय पर उपस्थित आया। कार्यालय के मालखाना से ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि 5000 रूपये के लिफाफे के निकलवा कर मन् पु0नि0 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के प्राईवेट वाहन इनोवा से मय लेपटॉप, प्रिन्टर के कस्बा ईटावा के लिए कार्यालय से रवाना हुई। मार्गदर्शन हेतु श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस श्री धर्मवीर सिंह को हमराह साथ लिया गया। समय 10:30 एएम पर मन् पु0नि0 मय स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के ईटावा में गोपनीय स्थान पर पहुंची। जहां पर श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि0 123, श्री बबलेश कानि0 261, श्री लालचन्द कानि030 एवं श्री अभिषेक कानि. 197 उपस्थित मिले। परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड से जरिये मोबाईल से सम्पर्क किया तो परिवादिया ने बाहर होना बताया व अनिता मेहरा सुपरवाईजर व दलाल महावीर शर्मा से बातचीत होने पर स्वंय द्वारा सर्म्पक करना बताया। समय 01:30 पीएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड जरिये दूरभाष सम्पर्क

कर मन् पु0नि0 के पास गोपनीय स्थान पर उपस्थित आई। परिवादिया ने बताया कि ''महावीर शर्मा से मेरी बात हुई है जिसने मुझसे कहा कि मेरी अनिता मेहरा मेडम से बात हो गई है, उन्होने पैसे मुझे इकट्ठे करने के लिए कहा है, इसलिए तू पैसे मूझे ही देना, मैं आज बाहर हूँ, मैं तेरे पास आकर तुझसे पैसे ले लूंगा। मैं दो तीन दिन अपने पारिवारिक प्रोग्राम में बाहर जा रही हूँ। वापस आने के बाद मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगी।'' समय 01:40 पीएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौर, दलाल श्री महावीर शर्मा एवं आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा के मध्य हुई दिनांक 04.04.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादिया एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि. 401 से लिवाई जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर प्रिन्ट निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03:35 पीएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड को कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर रूखसत किया गया। मन् पु0नि0 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के कोटा के लिए रवाना होकर समय 05:30 पीएम पर कार्यालय कोटा पहुंची। ट्रेप बोक्स मय रिश्वत राशि 5000 रूपये के लिफाफे के सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को आवश्यकता होने पर तुरन्त कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 13.04.2022 को समय 07:30 एएम पर मन् पु0नि0 को परिवादिया श्रीमती मन्जू राठौड द्वारा जर्ये मोबाईल सूचित किया कि आज सुबह सात बजे ही महावीर शर्मा मेरे घर पर रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु आ गया था। जिसको मैने बहाना कर रिश्वत राशि नहीं दी। लेकिन वह दुबारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु आ सकता है। इस पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान को कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष निर्देश दिये गये। समय 10:15 एएम पर पाबन्दशुदा गवाह श्री कैलाश सुमन व श्री महावीर गुर्जर कार्यालय पर उपस्थित आये। कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 चौकी एसीबी कोटा देहात से तलविदा उपस्थित कार्यालय आई। समय 11:25 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री बबलेश कानि. 261, श्री लालचन्द कानि. 30, कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 के मय ट्रेप बॉक्स लेपटॉप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक के ईटावा के लिए रवाना होकर समय 01:30 पीएम गोपनीय स्थान ईटावा पहुंची। परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर गोपनीय स्थान पर बुलाया गया। समय 02:20 पीएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड गोपनीय स्थान पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आई। परिवादिया के मोबाईल से आरोपी श्री महावीर शर्मा के मोबाईल पर वार्ता करवाई गई तो परिवादिया ने मोबाईल से वार्ता कर बताया कि महावीर शर्मा ने आज रिश्वत राशि लेने हेतु आने से मना कर दिया है। उसने कल सुबह दिनांक 14.04.2022 को आने के लिए कहा है। वह कल सुबह मेरे घर पर ही रिश्वत राशि लेने आ सकता है। समय 03:10 पीएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड को कार्यवाही की गोपनीयता की समझाईश कर रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता के सरकारी वाहन से कोटा के लिए रवाना होकर समय 05:45 पीएम पर कार्यालय कोटा पहुंची। ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि 5000 रूपये के लिफाफे के मालखाना में रखवाया गया। सम्पूर्ण हालात श्रीमान अ0पु0अ0 को निवेदन किये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 14.04.2022 प्रातः 05:00 एएम कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 14.04.2022 को समय 05:15 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश सुमन कनिष्ठ सहायक एवं श्री महावीर गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। एसीबी जाप्ता भी उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री बबलेश कानि. 261, श्री लालचन्द कानि. 30, कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि 5000 रूपये के लिफाफे के सरकारी वाहन ट्वेरा से ईटावा के लिए कार्यालय एसीबी एसयू कोटा से रवाना हुई। समय 07:25 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व जाप्ता के गोपनीय स्थान पर ईटावा पहूंची। परिवादिया को जरिये दूरभाष गोपनीय स्थान पर पहुंचने हेतु बताया गया। समय 07:50 एएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड मन् पुलिस निरीक्षक के पास गोपनीय स्थान ईटावा पर उपस्थित आई। ट्रेप बॉक्स में रखे रिश्वत राशि के लिफाफे को श्री महावीर गुर्जर स्वतंत्र गवाह से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि 5000 रूपये को परिवादिया के हेण्डबेग के सामने की जेब में रखवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर पुनः चालू व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादिया को सुपुर्द किया गया। परिवादिया

को आरोपी दलाल श्री महावीर को रिश्वत राशि देने के पश्चात् ट्रेप पार्टी सदस्यों की ओर अपने सिर से स्कार्फ हटाकर ईशारा करने की समझाईश कर अपने मकान पर रवाना किया गया। परिवादिया के पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के रवाना होकर परिवादिया के मकान के पास पहुंचे तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों को अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादिया के मकान के आसपास ही मुकिम रहने के निर्देश दिये गये। समय 10:15 एएम पर परिवादिया मन् पुलिस निरीक्षक के पास आई तथा बताया कि आज पीपल्दा में प्रशासन गांव के संग शिविर है। जिसमें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया है इसलिए मैं पीपल्दा जाउंगी। आरोपी महावीर शर्मा भी आरोपिया अनिता मेहरा को लेकर पीपल्दा ही जायेगा। जो पीपल्दा में ही रिश्वत राशि प्राप्त कर सकते हैं। समय 11:00 एएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड को पूर्व से सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि मय डिजीटल वॉईस रिकार्डर के प्रशासन गांव के संग अभियान में हिस्सा लेने हेतु पीपल्दा रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी परिवादिया से उचित दूरी बनाये रखते हुये परिवादिया के पीछे पीछे रवाना हुई। समय 11:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के पीपल्दा पहुंची तथा प्रशासन गांव के संग अभियान के स्थान पुरानी तहसील के पास गोपनीय स्थान पर अपनी उपस्थित छुपाते हुये परिवादिया के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकिम हुई। समय 01:10 पीएम पर परिवादिया ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि महावीर शर्मा आरोपिया अनिता मेहरा को शिविर में छोड़कर वापस चला गया है तथा अनिता मेहरा ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिविर से जाने हेतु कह दिया है। महावीर शर्मा से मेरी मोबाईल पर वार्ता हुई है, जिसमें महावीर ने बताया है कि मैं तो मेडम को छोड़कर खातोली आ गया हूँ। मैं शाम को 4–5 बजे करीब तुम्हारे घर पर आकर पैसे प्राप्त कर लूंगा। अतः परिवादिया को ईटावा हेतु रवाना कर समझाईश की गई कि महावीर शर्मा का फोन आते ही मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। समय 01:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक भी मय गवाहान व एसीबी जाप्ता के ईटावा हेतु रवाना होकर समय 02:00 पीएम पर ईटावा पहुंचे एवं गोपनीय स्थान पर मुकिम हुये। चूंकि आरोपी दलाल महावीर शर्मा ने शाम के समय 4–5 बजे परिवादिया के घर पर ही पहुंचकर रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु परिवादिया से कहा है। अतः समय 04:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के गोपनीय स्थान से रवाना होकर परिवादिया के मकान के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुये। समय 05:25 पीएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड पत्नी स्व0 श्री किशन राठौड जाति तेली उम्र 45 साल निवासी रामलीला मैदान, ईटावा जिला कोटा हाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़, तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने मकान के बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक की ओर ट्रेप कार्यवाही का पुर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर से स्कार्फ हटाकर किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराही जाप्ता के परिवादिया के पास उसके मकान के बाहर पहुंची तथा परिवादिया से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त किया। परिवादिया ने बताया कि आरोपी दलाल महावीर अचानक ही मेरे पास आ गया इसलिए में डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू नहीं कर पाई। अतः डिजीटल वॉईस रिकार्ड प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादिया के बताये अनुसार बेडरूम में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति बेड पर हल्की नीली चैक वाली शर्ट एवं ग्रे–ब्लेक चैक वाली पेन्ट पहने हुये बैठा हुआ मिला। परिवादिया ने उक्त बेड पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह ही महावीर शर्मा निवासी पीपल्दा खुर्द है जिसने अभी अभी मुझसे अनिता मेहरा सुपरवाईजर के लिए रिश्वत राशि 5,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रख लिये हैं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का पूर्ण परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत करवाते हुये उससे उसका नाम पता पूछा गया तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा जिला कोटा होना बताया तथा बताया कि मेरी पत्नी मंजू शर्मा आंगनबाड़ी केन्द्र पीपल्दा खुर्द में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तत्पश्चात् दलाल महावीर से परिवादीया से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि 5000 रूपये के बारे में पूछा गया तो दलाल महावीर ने बताया कि मंजू राठौड ने मुझे उसके खाते में आये पोषाहार की राशि का 5000 रूपये कमीशन दिया है, जो मैनें अनिता मेहरा सुपरवाईजर के लिए लिये हैं, जो मैने मेरी शर्ट की जेब में रख लिये हैं। इस पर दलाल महावीर शर्मा को सुपरवाईजर अनिता मेहरा के लिए उसके द्वारा परिवादिया से ली गई रिश्वत राशि 5,000 रूपये के बारे में एवं आरोपिया अनिता मेहरा की लोकेशन जानने के लिए कॉल करने के लिए पूछा गया तो दलाल महावीर ने कहा कि वह अनिता मेहरा सुपरवाईजर को उसके मोबाईल पर कॉल करके इस बारे में बात कर सकता है। इस पर समय 05:52 पीएम दलाल महावीर के मोबाईल नम्बर 9928044515 से आरोपिया अनिता मेहरा के मोबाईल नम्बर 9784472040 पर कॉल करवाया गया

तो आरोपिया का मोबाईल नम्बर बिजी आया। पुनः कॉल करवाया गया तो आरोपिया द्वारा कॉल को रिसीव नहीं किया गया। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान पर पहुंचने हेतु दलाल महावीर शर्मा का दाहिना हाथ श्री बबलेश कानि. 261 एवं बायां हाथ श्री दिलीप कुमार कानि. 401 से कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर दलाल को सरकारी वाहन ट्वेरा की बीच वाली सीट पर बीच में बिठाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों हाथ पकड़े हुये दलाल महावीर मय गवाहान मय जाप्ता मय वाहन के परिवादिया के निवास से रवाना हुई। कोटा ईटावा मुख्य सड़क पर पहुंचने पर समय 06:03 मिनट पर आरोपिया अनिता मेहरा के मोबाईल नम्बर 9784472040 से महावीर के मोबाईल पर अनिता मेहरा के नाम से कॉल आया, जिसे कॉल उठाकर दलाल महावीर के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई, जिसमें दलाल द्वारा अनिता मेहरा सुपरवाईजर से उसकी लोकेशन पुछने पर अनिता मेहरा ने स्वयं को कोटा के लिए निकलना एवं ढीबरी तक पहुंचना बताया फिर महावीर द्वारा मंजू से पैसे लेने की बताने पर अनिता मेहरा ने रिश्वत राशि प्राप्ति के सम्बन्ध में सहमति देते हुये "ठीक है" कहा गया। उक्त वार्ता को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। चूंकि आरोपिया अनिता मेहरा कोटा की रहने वाली है तथा किसी साधन से कोटा के लिए रवाना हो चुकी है इसलिए आरोपिया को रास्ते में ही डिटेन करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टॉफ से दोनो हाथ पकड़वाये हुये दलाल महावीर मय स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता मय वाहन के आरोपिया अनिता मेहरा का पीछा करते हुये कोटा की तरफ रवाना हुई तथा उक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया गया। श्रीमान अ0पु0अ0 के निर्देशानुसार श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक को आरोपिया के बारे में बताकर रास्ते में आने वाले वाहनों की चेकिंग करते हुये आरोपिया को डिटेन करने हेतु बताया गया। कस्बा दीगोद में टोल नाके के पास पहुंचने से पूर्व मन् पुलिस निरीक्षक के पास श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल सूचना दी गई कि आरोपिया अनिता मेहरा सुपरवाईजर को ईटावा रोड़ से कोटा जाते हुये को हाईवे से कोटा की तरफ मोड़ पर बोलेरो वाहन में बैठे हुये को डिटेन कर लिया है। इस पर श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक को मय आरोपिया दीगोद टोल पर पहुंचने हेतु निवेदन किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय दलाल महावीर मय स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता मय वाहन के समय 07:20 पीएम पर दीगोद टोल नाका के कार्यालय पर पहुंची। जहां पर उपस्थित टोल नाका प्रभारी श्री संजय सिंह भदोरिया से टोल नाका कार्यालय पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सहमति चाही गई तो टोल नाका प्रभारी ने कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध करवाते हुये अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात् टोल नाका कार्यालय के एक कमरे में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दलाल महावीर के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु टोल कार्यालय से दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक-एक चम्मच पाउडर दोनों गिलासों में डालकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में दलाल महावीर शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः RH-1, RH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में दलाल महावीर शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग मटमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः LH-1 LH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दलाल महावीर शर्मा ने परिवादिया से रिश्वत राशि 5,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रखना बताया है। इसलिए स्वतंत्र गवाह श्री महावीर गुर्जर कनिष्ठ सहायक से दलाल महावीर शर्मा की पहनी हुई शर्ट की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी दलाल महावीर शर्मा की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब से 500-500 के नोट बरामद हुये। उक्त बरामद राशि को गिनवाया गया तो गवाह श्री महावीर गुर्जर ने उक्त राशि को गिनकर 500-500 रूपये के दस नोट कुल 5000 रूपये होना बताया। दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश को फर्द पेशकशी नोट देकर दोनों गवाहान को दलाल महावीर शर्मा से उक्त बरामदशुदा राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से बरामद राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु रिश्वती राशि 5000 रूपये के नोट होना बताया गया। उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है :-

1. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 DC 010361
2. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 WP 867505

3. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 CC 360319
4. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 HL 669572
5. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 BW 606957
6. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0 BA 766631
7. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 WE 286355
8. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 RN 764836
9. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 NV 342033
10. भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 CB 864055

उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दलाल महावीर शर्मा की पहनी हुई शर्ट की जेब की धुलाई हेतु शर्ट को सम्मानपूर्वक उतरवाया गया तथा एक टी–शर्ट की व्यवस्था कर पहनने के लिए आरोपी दलाल को दी गई। तत्पश्चात् एक अन्य साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक चम्मच पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल महावीर की उतरवाई गई शर्ट की सामने की बायीं जेब, जिससे रिश्वत राशि 5,000 रूपये बरामद हुई थी, उक्त जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः S-1, S-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी दलाल महावीर शर्मा की उतरवाई गई शर्ट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पैकिट पर मार्क– S अंकित कर पेकिट को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसी दौरान श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता श्री करण सिंह वरिष्ठ सहायक, श्रीमति रामजानकी महिला कानि. 586 डिटेनशुदा आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा सुपरवाईजर को साथ लेकर टोल नाका दीगोद कार्यालय पर उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त आरोपिया महिला को अपना व टीम का परिचय देकर कार्यवाही के बारे में अवगतर करवाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिता मेहरा पत्नी श्री राजेश जाति .मेहरा उम्र 46 साल निवासी लक्ष्मी स्कूल के पास, सकतपुरा, गेट नं. 4, कोटा हाल सुपरवाईजर सेक्टर ईटावा प्रथम अतिरिक्त चार्ज पीपल्दा एवं खातौली द्वितीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ईटावा, जिला कोटा होना बताया। रूबरू गवाहान मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया अनिता मेहरा सुपरवाईजर से दलाल महावीर शर्मा के मार्फत परिवादी श्रीमति मंजू से ली गई रिश्वत राशि 5,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपिया अनिता मेहरा ने बताया कि "मैनें मंजू से कोई पैसे नहीं मांगे और ना ही मैने उससे कोई पैसे प्राप्त किये हैं।" इस पर उपस्थित परिवादिया मंजू राठौड ने आरोपिया अनिता मेहरा की बातों का खण्डन करते हुये बताया अनिता मेहरा सुरपवाईजर मेडम झूंठ बोल रही है, इन्होने दिनांक 04.04.2022 को मेरे आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़ पर आकर मेरे पुराने पोषाहार के बिलों का पूरा हिसाब जोड़कर बिलों की राशि 33,000 रूपये का 15 प्रतिशत कमीशन बतौर रिश्वत देने हेतु कहा था। मुझे पूर्व में भी इनके द्वारा कमीशन राशि नहीं देने पर नौकरी से हटवाने की धमकी देती थी व परेशान करती थी तथा यह इनके अधीन आने वाले अन्य आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं से भी कमीशन मांग रही है तथा इसने दिनांक 05.04.2022 को रिश्वत लेन देन प्रयास के दौरान भी मेरे से 5000 रूपये की मांग की थी तथा कमलेश से भी 3000 रूपये लेकर आने हेतु कहा था।" तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दलाल महावीर शर्मा से परिवादिया श्रीमति मंजू से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछा गया तो दलाल महावीर ने बताया कि "दिनांक 04.04.2022 को मेडम अनिता मेहरा जी मुझे करवाड़ आंगनबाड़ी केन्द्र का विजीट करने हेतु साथ लेकर गयी थी, विजीट के दौरान ही अनिता जी मेडम ने करवाड़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू राठौड से उसके खाते में आये पोषाहार के पुराने बकाया बिलों की राशि 33000 रूपये का 15 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 5000 रूपये देने हेतु मंजू से कहा था तथा मेरे से मंजू से पैसे प्राप्त कर लाने हेतु कहा, इसलिए मैने मंजू राठौड से मेडम अनिता मेहरा को देने हेतु 5000 रूपये प्राप्त किये। उसी दौरान आप व आपकी टीम ने आकर मुझे पकड़ लिया।" इस पर उपस्थित परिवादिया मंजू राठौड ने आरोपी दलाल महावीर शर्मा की बातों का आंशिक खण्डन करते हुये बताया कि "महावीर शर्मा मेडम अनिता मेहरा सुपरवाईजर के साथ मिला हुआ है तथा दिनांक 04.04.2022 को मेडम द्वारा 15 प्रतिशत

कमीशन के हिसाब से कमीशन मांगने पर इन्होने 15 प्रतिशत के हिसाब से 5,000 रूपये देने हेतु कहा था। उसके बाद भी यह मेरे से लगातार 5,000 रूपये रिश्वत देने हेतु दबाव बना रहा था। यह दोनों आपस में मिले हुये हैं। दोनों की आपसी मिलीभगत के चलते ही इसके द्वारा मेरे से अनिता मेहरा के लिए 5000 रूपये प्राप्त किये गये हैं।''

परिवादिया के पोषाहार के बिलों एवं भुगतान सम्बन्धी रिकार्ड के बारे में पूछने पर आरोपिया अनिता मेहरा सुपरवाईजर ने बताया कि ''आंगनबाड़ी कार्यकताओं के कोराना काल से पूर्व वर्ष 2019–20 के पोषाहार के बिल बकाया चल रहे थे, जो करीब एक डेढ़ माह पहले ही हमारे कार्यालय से पास होकर राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समूहों के खाते में जमा हुई है तथा बिलों से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। उक्त वांछित रिकार्ड पृथक से प्राप्त किया जावेगा। आरोपी दलाल महावीर शर्मा के मोबाईल टच स्क्रीन ओपो कम्पनी बरंग काला आईएमईआई 1– 869485049840732 आईएमईआई 2– 869485049840724 जिसमें एक ही सिम कार्ड मोबाईल नम्बर 9928044515 जिओ कम्पनी की लगी हुई है तथा आरोपिया अनिता मेहरा सुपरवाईजर के मोबाईल टच स्क्रीन सेमसंग कम्पनी बरंग गहरा नीला आईएमईआई 1– 351666442509041 आईएमईआई 2– 355622692509047 जिसमें एक ही सिम कार्ड मोबाईल नम्बर 9784472040 एयरटेल कम्पनी की लगी हुई है। चूंकि दलाल महावीर शर्मा के मोबाईल नम्बर 9928044515 एवं आरोपिया अनिता मेहरा सुपरवाईजर के मोबाईल नम्बर 9784472040 पर रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हुई है। अतः आरोपीगण के दोनों उक्त मोबाईलों को कार्यवाही में वांछित होने से बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 11:05 पीएम पर आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एवं संवेधानिक अधिकारों से अवगत करवाते हुये कार्यवाही हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपिया की जामा तलाशी महिला कानि. कीर्ति चौधरी नं. 253 से लिवाई गई तो अलावा पार्श्जात पोशिदगी कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। आरोपिया की गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेअनुसार उनके पति श्री राजेश मेहरा को उनके मोबाईल नम्बर 9587466388 पर दी गई। आरोपिया की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 11:20 पीएम पर आरोपी दलाल श्री महावीर शर्मा को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एवं संवेधानिक अधिकारों से अवगत करवाते हुये कार्यवाही हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी दलाल श्री महावीर शर्मा की नियमानुसा जामा तलाशी गवाह श्री महावीर गुर्जर से लिवाई गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेअनुसार उसकी पत्नी श्रीमति मंजू शर्मा को उनके मोबाईल नम्बर 9521042895 पर दी गई। समय 11:35 पीएम पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान आरोपिया श्रीमती अनिता मेहरा सुपरवाईजर सेक्टर ईटावा प्रथम अतिरिक्त चार्ज पीपल्दा एवं खातौली द्वितीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ईटावा, जिला कोटा को उसकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपिया ने अपनी आवाज का नमूना देने से मना करते हुये मूल नोटिस पर ही अंकित किया कि मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहती हूँ। नोटिस को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 11:45 पीएम पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान आरोपी दलाल श्री महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा जिला कोटा को उसकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से मूल नोटिस पर ही लिखित में मना किया। नोटिस को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक परिवर्तित होने से दिनांक 15.04.2022 को समय 12:30 एएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौर एवं आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा के मध्य हुई दिनांक 05.04.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता को परिवादिया एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री लालचन्द कानि. 30 से लिवाई जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर प्रिन्टर निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02:35 एएम पर आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा के मोबाईल नम्बर 9784472040 से आरोपी दलाल श्री महावीर के मोबाईल नम्बर 9928044515 पर दिनांक 14.04.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन मोबाईल वार्ता को परिवादिया एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री बबलेश कानि. 261 से लिवाई जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर प्रिन्टर निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03:10 एएम पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड के समक्ष दिनांक 04.04.2022 को परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड, आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा व आरोपी दलाल श्री महावीर के

मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 05.04.22 को परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड व आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता तथा दिनांक 14.04.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा व आरोपी दलाल श्री महावीर के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, जो उक्त तीनों वार्ताऐं डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड है, उक्त तीनों वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया जाकर श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा 05 सी.डी. में डब करवाया जाकर पांचो सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिनमें से एक सी.डी. वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु, द्वितीय सी.डी. नमूना आवाज हेतु, तृतीय व चतुर्थ सी.डी. आरोपीगण के लिए पृथक–पृथक कपड़े की 04 थेली में रखवाकर सील्ड चीट मोहर की गई। कपड़े की थेलियों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही की फर्द डबिंग सी.डी. व जब्ती सी.डी. पृथक से मुर्तिब की गई। समय 04:35 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्रीमति अनिता मेहरा, श्री महावीर शर्मा मय परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड व कार्यवाही में जब्त/बरामदशुदा समस्त आर्टिकल्स मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर वाहन सरकारी के टोल नाका दीगोद से कोटा रवाना हुई। थाना नयापुरा कोटा पहुंच गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपीगण श्रीमति अनिता मेहरा व श्री महावीर शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से नयापुरा हलावात में जमा करवाया गया। नयापुरा से रवाना हो समय 06:00 एएम पर कार्यालय हाजा वापस आई। ट्रेप बॉक्स, जब्त/बरामदशुदा आर्टिकल्स धोवन की 06 शीशीयां शील्डशुदा, रिश्वत राशि 5000 रूपये का लिफाफा, आरोपी की शील्डशुदा शर्ट का पेकिट, जब्तशुदा दो मोबाईल, शील्डशुदा सी.डी. 04 एवं एक अनशील्ड सी.डी. व जामा तलाशी में मिली राशि को जमा मालखाना करवाया गया। समय 07:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय वाहन सरकारी मय चालक के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किये जाने हेतु ईटावा रवाना हुई। समय 09:00 एएम पर ईटावा पहुंचने पर बमौजूदगी परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड व दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में कार्यवाही हाजा के घटनास्थल का नजरी निरीक्षण नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। समय 09:30 एएम पर परिवादिया श्रीमति मंजू राठौड को कार्यवाही पूर्ण होने से आवश्यक समझाईश कर उसके मकान पर ही छोड़कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय वाहन सरकारी मय चालक के ईटावा से रवाना हुई। समय 11:10 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय वाहन सरकारी मय चालक के कार्यालय हाजा उपस्थित आई। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्रीमति अनिता मेहरा सुपरवाईजर एवं दलाल महावीर शर्मा द्वारा आपस में मिलीभगत कर अनिता मेहरा सुपरवाईजर के अधीन आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं के समूहों के खातों में आये पुराने पोषाहार के बिलों के पैसों मे से 15 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमति मंजू राठोड को नौकरी से नहीं निकालने एवं परेशान नहीं करने हेतु कहा गया। तदुपरान्त दिनांक 04.04.2022 को आरोपीगण परिवादिया के आंगनबाड़ी केन्द्र करवाड़ पहुंच दौराने सत्यापन परिवादिया के पुराने बकाया बिलों का हिसाब कर उसके खाते में आये 33,000 रूपये का 15 प्रतिशत कमीशन राशि 5000 रूपये की बतौर रिश्वत मांग करना, दिनांक 05.04.2022 को भी आरोपिया श्रीमति अनिता मेहरा द्वारा परिवादिया मंजू राठौड से रिश्वत लेनदेन प्रयास के दौरान 5000 रूपये की मांग कर कमलेश से भी 3000 रूपये लेकर आने हेतु कहना, दिनांक 14.04.2022 को आरोपी महावीर शर्मा द्वारा परिवादिया मंजू राठोड से आरोपिया अनिता मेहरा के लिए बतौर रिश्वत 5,000 रूपये प्राप्त कर अपनी शर्ट की सामने की बायीं जेब में रखना, आरोपिया अनिता मेहरा द्वारा अपने मोबाईल से आरोपी दलाल महावीर शर्मा के मोबाईल पर रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता कर रिश्वत राशि के सम्बन्ध में सहमति देना, रिश्वत राशि 5000 रूपये आरोपी दलाल की शर्ट की सामने की बायीं जेब से बरामद होना, आरोपी दलाल महावीर के दाहिने एवं बाये हाथ के धोवन का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी एवं मटमेला आना, शर्ट की सामने की बायीं जेब के धोवन का रंग गुलाबी आना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपीगण 1. श्रीमती अनिता मेहरा पत्नी श्री राजेश जाति मेहरा उम्र 46 साल निवासी लक्ष्मी स्कूल के पास, सकतपुरा गेट नं. 4, कोटा हाल सुपरवाईजर सेक्टर ईटावा प्रथम अतिरिक्त चार्ज पीपल्दा एवं खातौली द्वितीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ईटावा, जिला कोटा एवं 2. दलाल महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा जिला कोटा का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपीगण 1. श्रीमती अनिता मेहरा पत्नी श्री राजेश जाति मेहरा उम्र 46 साल निवासी लक्ष्मी स्कूल के पास, सकतपुरा गेट नं. 4, कोटा हाल सुपरवाईजर सेक्टर ईटावा प्रथम अतिरिक्त चार्ज पीपल्दा एवं खातौली द्वितीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ईटावा, जिला कोटा एवं 2. दलाल महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा जिला कोटा के विरूद्ध जुर्मधारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

Anita

(अनिता वर्मा)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्रीमती अनिता मेहरा, सुपरवाईजर सेक्टर ईटावा प्रथम अतिरिक्त चार्ज पीपल्दा एवं खातौली द्वितीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ईटावा, जिला कोटा एवं 2. दलाल महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा जिला कोटा के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 133/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक-: 1178-82 दिनांक 16.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें राजस्थान,जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, S.U. कोटा।

16/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।